न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 01/2024

श्री चौथमल पुत्र श्री छोगा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दिलवाड़ी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

.......*प्रार्थी*

बनाम

1— श्रीमति कमला पत्नि स्व0 श्री रामगोपाल
2— श्री रामावतार
3— श्री शिवजी
पुत्रगण स्व0 श्री रामगोपाल
4— सीता पुत्री स्व0 श्री रामगोपाल
समस्त जाति सादू, निवासीगण ग्राम दिलवाड़ी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर
5— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद।

......**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :—

1— श्री मंगलाराम चौधरी, वकील प्रार्थी की ओर से
2— श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से
3— श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

—: आदेश :—

दिनांक—30.04.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 06.07.1984 को ग्राम दिलवाड़ी में आयोजित राजस्व शिविर में श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास जाति साधू निवासी ग्राम दिलवाड़ी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम दिलवाड़ी के सिवायचक आराजी चौसाला खसरा नम्बर 123 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि के वर्किंग जमाबन्दी में बने नवीन खसरा संख्या 129 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ नियमन किया गया। प्रार्थी द्वारा आवंटी के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के नियमन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध बताते हुए

अपर कलक्टर
अजमेर

विवादित भूमि के नियमन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम दिलवाड़ी स्थित विवादित आराजी के चौसाला खसरा संख्या 123 रकबा 02-05-00 बीघा के वर्किंग जमाबन्दी में बने नवीन खसरा संख्या 129 रकबा 02-05-00 बीघा के वर्तमान जमाबन्दी हाल खसरा संख्या 214 रकबा 0.01, 215 रकबा 0.35 है0 है। विवादित आराजी का उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा राजस्व शिविर दिलवाड़ी में दिनांक 06.07.1984 को बिना मौका व रिपोर्ट देखे एवं बिना कोई उद्घोषणा जारी किये विधिविरूद्ध तरीके से प्रावधानों के विपरीत जाकर नियमन किया गया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 19 से अंकन किया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 311 व 140 से श्री रामगोपाल पुत्र श्री हीरादास के नाम अंकन हुआ, जबकि उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जा काश्तशुदा आराजी है एवं वह वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है। जिस पर अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज का किसी प्रकार का कोई लेना देना व सरोकार नहीं है। उक्त आराजी में प्रार्थी के दादा श्री छीतर पुत्र श्री गोदा के नाम चौसाला पुराना खसरा संख्या 123 रकबा 02-05-00 बीघा में सम्वत 2019 में फसल काश्त की गई। खसरा गिरदावरी सम्वत 2021, 2022 एवं सम्वत 2023 से 26 तथा 2031 से 34 में प्रार्थी के पिता श्री छांगा पुत्र श्री छीतर के द्वारा फसल काश्त की गई जो राजस्व रेकॉर्ड से स्पष्ट है। प्रार्थी नियमन का प्रथम वरीयता से पात्र है एवं नियमन के पात्र व्यक्ति की अनदेखी करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के नाम गलत तरीके से नियमन किया गया है जबकि प्रार्थी आज भी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के पक्ष में नियमन से कई वर्षों पूर्व से प्रार्थी व उसके दादा एवं पिता निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वजों के नाम समय-समय पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं। आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज व अप्रार्थीगण का कभी भी कोई कब्जा व आधिपत्य नहीं रहा है। अप्रार्थी के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलीभगती व सांठ गांठ कर विवादित आराजी पर पुराना कब्जा बताते हुए मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश कर गलत रूप से आवंटन/नियमन के प्रावधानों के बाहर जाकर नियमन आदेश प्राप्त किया गया है जबकि आराजी पर अप्रार्थीगण के पूर्वज का वरवक्त नियमन व नियमन से पूर्व किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं था। उनका आगे कथन है कि नियमन करने से पूर्व उद्घोषणा जारी कर आम सूचना प्रकाशित किये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा उद्घोषणा या आम सूचना का कोई प्रकाशन नहीं किया गया। उनके द्वारा आवंटन व नियमन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए नियम विरूद्ध तरीके से नियमन किया गया है। आक्षेपीय आदेश कोरम द्वारा पारित नहीं किया जाकर केवल उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

अजमेर द्वारा पारित किया गया है। उनके द्वारा कब्जे सम्बन्धी कोई दस्तावेज या मौके का निरीक्षण नहीं किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के नाम राजस्व रेकॉर्ड में कितनी भूमि थी अथवा वे भूमिहीन काश्तकार थे या नहीं तथा उनका जीविकोपार्जन कृषि पर निर्भर था या नहीं। उनका कथन है कि पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जो तकनीकी आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन निरस्त किया जाकर प्रार्थी के नाम नियमन किया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के पक्ष में विधिक रूप से पूर्ण जांच पश्चात आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की अनुशंषा पर आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में राजस्व शिविर में ग्राम दिलवाड़ी स्थित आवंटित विवादित आराजी का चौसाला खसरा संख्या 123 एवं वर्किंग खसरा संख्या 129 रकबा 02-05-00 बीघा जिसके वर्तमान आधार खसरा संख्या 214 रकबा 0.01 हैक्टर व 215 रकबा 0.35 है0 है। उक्त आराजी पर सम्वत 2032 से अप्रार्थीगण के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास, जाति साधू काबिज काश्त चले आ रहे थे। इसी आधार पर उनके पक्ष में विवादित आराजी का नियमन किया गया है। नियमन से पूर्व आराजी पर कभी भी प्रार्थी अथवा उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त नहीं रहा। उन्होने कथन किया कि अजमेर जिले में भू-संशोधन के समय जिन काश्तकारों की अपने पूर्वजों की कब्जे काश्त की भूमि थी उन्हे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, किन्तु राज्य सरकार द्वारा भू-संशोधन को मान्यता प्रदान नहीं करने के कारण काश्तकारों की खातेदारी निरस्त कर राजस्व रेकॉर्ड में भूमि पुनः सिवायचक दर्ज कर दी गई। ऐसे काश्तकारों को भूमि नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा अजमेर जिले के लिये विशेष अधिसूचना जारी कर भू-संशोधन खातेदारान को कब्जे काश्तशुदा आराजी नियमन की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास का प्रकरण भी भू-संशोधन का अवशेष प्रकरण होने के कारण उनके पक्ष में विवादित आराजी का नियमन किया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 190 तस्दीक कर अमल दरामद किया गया। इनके स्वर्गवास के पश्चात विरासत नामान्तरकरण संख्या 140 रामगोपाल पुत्र हीरादास के नाम एवं तत्पश्चात नियमन शर्तों की पालना करने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 311 रामगोपाल पुत्र हीरादास को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। उनका आगे कथन है कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2019, 2021, 2022 एवं 2023 से 2026 व 2027 से 2030 पर प्रार्थी व उनके पूर्वजों का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज का नियमन से कई वर्षों पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है। आक्षेपित नियमन आदेश भू-संशोधन अवशेष प्रकरण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में पारित किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उद्घोषणा जारी कर दिनांक 06.07.1984 को राजस्व शिविर दिलवाड़ी में ग्राम दिलवाड़ी के 25 व्यक्तियों एवं ग्राम बैवन्जा के लगभग 22 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन/नियमन किया गया। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पूर्व सूचना प्रकाशित कर ग्राम दिलवाड़ी व बैवन्जा के ग्रामवासियों की

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलेक्टर
अजमेर

उपस्थिति में मजमे आम में आवंटन नियमों का पालन करते हुए आवंटन/नियमन आदेश पारित किये गये हैं। उक्त नियमन आदेश को अब 1984 के लगभग 40 वर्ष पश्चात निरस्त किया जाना कत्तई न्यायोचित नहीं है। आक्षेपीय आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में पारित किया गया है जो राज्य सरकार के आदेश की पालना मात्र है एवं पूर्ण कोरम में पारित किया गया है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने आगे कथन किया कि पटवारी हल्का की तस्दीक अनुसार वरवक्त नियमन सिंचित 06—02—00 बीघा भूमि आवंटी की खातेदारी में दर्ज थी जिसका बारानी का माप 12—04—00 बीघा होता है जबकि आवंटन नियम 12 के अनुसार 10 एकड़ तक आराजी का आवंटन/नियमन किया जा सकता है। इस प्रकार आवंटन/नियमन हेतु 25 बीघा आराजी बनती है जिसमें से 12—04—00 बीघा भूमि कम करने पर 12—16—00 बीघा भूमि आवंटी को आवंटन/नियमन की जा सकती थी जबकि 02—05—00 बीघा भूमि का ही नियमन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवंटी हीरादास भूमिहीन कृषक था। प्रार्थी द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि आक्षेपीय नियमन आदेश आवंटी द्वारा मिथ्या कथन, दुर्व्यपदेशन अथवा आवंटन सलाहकार समिति को धोखा देकर पारित करवाया गया है। उन्होने कथन किया कि राजस्थान में अनावृष्टि व अतिवृष्टि होने से समय पर काश्त व उपज नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा काश्त शर्त को विलोपित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के विपरीत कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आक्षेपीय नियमन आदेश को निरस्त करवाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 14/2019 बउनवान चौथमल बनाम श्रीमति कमला अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन) नियम, 1970 प्रस्तुत किया गया था जो आदेश दिनांक 27.02.2024 से निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के उक्त आदेश को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है एवं आदेश को बिना चुनौती दिये प्रार्थी ने नियमन आदेश के विरूद्ध पुनः विचाराधीन प्रार्थना पत्र नियम 20(2) के अन्तर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जबकि उक्त आदेश को चुनौती दिया जाना विधि के प्रावधानों के तहत आवश्यक था। प्रार्थी द्वारा उक्त नियमन आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की गई थी जो निरस्त की जा चुकी है। सक्षम न्यायालयों द्वारा उक्त निर्णय पारित किये जा चुके हैं फिर भी प्रार्थी द्वारा उक्त पश्चातवर्ती तीसरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं होकर प्रांगन्याय के सिद्धान्त पर प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त योग्य है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का आगे कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024 के पृष्ठ संख्या 4 पर उभय पक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व शिविर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास के पक्ष में विवादित आराजी का नियमन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अजमेर जिले में भू—संशोधन अवशेष प्रकरण में भूमि नियमन करने हेतु जारी विशेष अधिसूचना की पालना में आक्षेपीय नियमन आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के पक्ष में वर्ष 1984 में नियमन किया गया था। लगभग 35 वर्ष की अवधि के पश्चात आवंटी के पक्ष

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

में किए गए विवादित भूमि के नियमन को निरस्त किया जाना विधिनुकूल व न्यायोचित नहीं है। हालांकि आवंटन/नियमन निरस्त करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है किन्तु केवल मात्र ऐसे नियमन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल, कपटपूर्वक तथा तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो अथवा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया हो। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए हैं जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आवंटी/अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज द्वारा विवादित भूमि का नियमन छल, कपटपूर्वक व तथ्यों को छिपाकर करवाया गया है। प्रार्थी का यह कथन सही प्रतीत नहीं होता है कि विवादित आराजी उनके कब्जे काश्तशुदा आराजी है एवं वह अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा जो खसरा गिरदावरियां/राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया गया है उनके अवलोकन से विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त होने की पुष्टि नहीं होती है, वे आराजी पर अपना कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहे हैं। प्रार्थी ने अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर भू–संशोधन अवशेष प्रकरण के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास को वादग्रस्त आराजी का नियमन किया गया है जिसका राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के नियम 20(1–क) में प्रावधान किया हुआ है।'' इस प्रकार स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में भी गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की पालना में पारित किये गये नियमन आदेश निरस्त नहीं किये जा सकते। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने आक्षेपीय नियमन आदेश को निरस्त करवाने हेतु पूर्व में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 14/2019 बउनवान चौथमल बनाम श्रीमति कमला अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 पेश किया था जिसमें दिनांक 27.02.2024 को आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देकर नियमन आदेश के विरूद्ध पुनः विचाराधीन प्रार्थना पत्र नियम 20(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व शिविर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास के पक्ष में विवादित आराजी का नियमन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अजमेर जिले में भू–संशोधन अवशेष प्रकरण में भूमि नियमन करने हेतु जारी विशेष अधिसूचना की पालना में आक्षेपीय नियमन आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के पक्ष में वर्ष 1984 में नियमन किया गया था। लगभग 40 वर्ष की अवधि के पश्चात आवंटी के पक्ष में किए गए विवादित भूमि के नियमन को निरस्त किया जाना विधिनुकूल व न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। हालांकि आवंटन/नियमन निरस्त करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है किन्तु केवल मात्र ऐसे नियमन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल, कपटपूर्वक तथा तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो अथवा आवंटन/नियमन शर्तों का उल्लंघन किया हो। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

उजागर नहीं हुए हैं जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आवंटी/अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज द्वारा विवादित भूमि का नियमन छल, कपटपूर्वक व तथ्यों को छिपाकर करवाया गया है। प्रार्थी का यह कथन असत्य प्रतीत होता है कि विवादित आराजी उनके कब्जे काश्तशुदा आराजी है एवं वह अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथनों की पुष्टि में कोई राजस्व रेकॉर्ड व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वे विवादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहे हैं।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन व भारहीन होने से निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर
अजमेर